

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्गअनुमोदनसं.: 1287 कासंशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1287

विषय/ Sub:सिंगल सीटर लाइफ रैफ्ट टाइप बी1, बी2 और बी4 हेतु डिंघी एवं डिफ्लेशन वाल्व

Dinghy and Deflation Valve for Single Seater Life Raft Type B1, B2, and B4

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मेरिडियन इन्फ्लेटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 103, मारवा कॉम्प्लेक्स, 4 मारवा इस्टेट, सिकनाका, मुंबई – 400 072 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित सिंगल सीटर लाइफ रैफ्ट टाइप बी1, बी2 एवं बी4 हेतु डिंघी एवं डिफ्लेशन वाल्व",को संदर्भ सं.:सेमिलैक/5070/टीए-1287, दिनांक 09 अक्तूबर 2007, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1287 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.:सेमिलैक/5070/टीए-1287-1आर, दिनांक 17 अक्तूबर 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the "Dinghy and Deflation Valve For Single Seater Life Raft Type B1, B2 and B4", designed, developed and manufactured by M/s Meridian Inflatables Pvt. Ltd., 103, Marwah Complex, 4, Marwah Estate, Sakinaka, Mumbai – 400 072 was issued with Type Approval Number: 1287 vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-1287, dated: 09th October 2007. Subsequently renewed vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-1287-1R, dated: 17th October 2012 with its validity up to 31st December 2017.

पृष्ठ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं/.TA No. 1287

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगत, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), डीआरडीओ. सेमिलैक, मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is here by renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> February 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> January 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), DRDO, CEMILAC, Marathahalli Colony Post, Bengaluru – 560 037, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1287, दिनांक 09 अक्तूबर 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1287, dated: 09<sup>th</sup> October 2007 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बेंगलूरु – 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी।यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र/ पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval Certificate / letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-1287/2R

दिनांक /Date: 23 February2018 फ़ैक्ससं./Fax No: 080 - 2523 0856

IR.

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)